

राजस्थान उच्च न्यायालय

जयपुर बेंच

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 14864/2024

- ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय, वेदांत ज्ञान वैली, ग्राम झरना, महिला जोबनेर लिंक रोड, एनएच-8, जयपुर-अजमेर एक्सप्रेस वे, जयपुर (राजस्थान) इसके रजिस्ट्रार डॉ. हेमा बाफिला, डी/ओ श्री के माध्यम से। भगवान सिंह बाफिला, उम्र लगभग 33 वर्ष।
- आयुर्वेदिक विज्ञान संकाय, ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय का संघटक महाविद्यालय, वेदांत ज्ञान घाटी, ग्राम झरना, महिला जोबनेर लिंक रोड, राष्ट्रीय राजमार्ग-8, जयपुर अजमेर एक्सप्रेस वे, जयपुर (राजस्थान) इसके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता डॉ. हेमा बाफिला, पुत्री श्री भगवान सिंह बाफिला, आयु लगभग 33 वर्ष के माध्यम से

----याचिकाकर्ता

बनाम

- भारत संघ, सचिव के माध्यम से, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, आयुष भवन, बी-ब्लॉक, जीपीओ कॉम्प्लेक्स, आईएनए, नई दिल्ली-110023
- राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, प्लॉट संख्या टी-19, प्रथम एवं द्वितीय तल, ब्लॉक-IV धनवंतरी भवन, रोड संख्या 66, पंजाबी बाग (पश्चिम), नई दिल्ली-110026
- अध्यक्ष, भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिए चिकित्सा मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड (मार्बिज्म), प्लॉट नंबर टी-19, प्रथम और द्वितीय तल, ब्लॉक-IV, धनवंतरी भवन, रोड नंबर 66, पंजाबी बाग (पश्चिम), नई दिल्ली-110026
- राजस्थान आयुष स्नातक-पीजी परामर्श बोर्ड, इसके अध्यक्ष के माध्यम से, आयुष भवन, प्रताप नगर, जयपुर (राजस्थान)

----उत्तरदाता

याचिकाकर्ता(यों) के लिए : श्री आर.एन. माथुर, वरिष्ठ अधिवक्ता
के साथ
सुश्री प्रत्यूषी मेहता,
श्री वेदांत अग्रवाल

उत्तरदाता के लिए : सुश्री सोनिया शांडिल्य
श्री अक्षत शर्मा के साथ
सुश्री मंजीत कौर
सुश्री हर्षिता शर्मा
डॉ. महेश शर्मा के लिए

माननीय श्री न्यायमूर्ति अवनीश झांगन

आदेश10/12/2024

1. यह याचिका याचिकाकर्ता संख्या 2 पर 1,75,00,000/- रुपये का जुर्माना लगाने वाले 21.06.2024 के आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए दायर की गई है।

2. संक्षिप्त तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता संख्या 1, राजस्थान राज्य द्वारा ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2008 के तहत स्थापित एक विश्वविद्यालय है। आयुष मंत्रालय ने विश्वविद्यालय (याचिकाकर्ता संख्या 2) को साठ छात्रों की प्रवेश क्षमता के साथ आयुर्वेदिक चिकित्सा विज्ञान स्नातक (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम चलाने हेतु संस्थान स्थापित करने की अनुमति प्रदान की थी। 20.09.2023 को, प्रतिवादी संख्या 3 ने प्रवेश क्षमता में 10% की कटौती करके याचिकाकर्ता संख्या 2 को चौवन छात्रों को प्रवेश देने की अनुमति प्रदान की।

3. प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा 16.02.2024 को एक कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी किया गया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्ता संख्या 2 के संस्थान में आवश्यक संख्या में संकाय सदस्य नहीं हैं और संकाय केवल कागजों पर ही हैं। कार्यवाही के परिणामस्वरूप 1.75 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने वाला विवादित आदेश पारित किया गया। बाद की कार्यवाही में संकाय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन के परिणामस्वरूप, जुर्माना अंततः घटाकर 1 करोड़ रुपये कर दिया गया। याचिकाकर्ताओं ने जुर्माने को चुनौती देते हुए दो रिट याचिकाएँ दायर कीं और सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश की अनुमति देने से इनकार करने वाले आदेश पर रोक लगा दी गई। अतः, वर्तमान याचिका।

4. विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक 22.10.2024 के आदेश द्वारा, याचिकाकर्ता को पंद्रह दिनों के भीतर किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से पचास लाख रुपये की बैंक गारंटी प्रस्तुत करने और संकायों की कमी, यदि कोई हो, को पूरा करने का लिखित वचन देने की शर्त पर, विवादित आदेश पर रोक लगा दी। प्रतिवादियों द्वारा अपील में अंतरिम आदेश को चुनौती दी गई और एकल न्यायाधीश के आदेश पर रोक लगा दी गई। 05.12.2024 को, खंडपीठ ने पक्षकारों के वकीलों को रिट के अंतिम निपटान के लिए अनुरोध करने की स्वतंत्रता दी,

क्योंकि परामर्श 20.12.2024 को समाप्त हो जाएगा।

5. प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने प्रारंभिक आपत्ति उठाई है कि याचिकाकर्ता के पास राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयोग अधिनियम, 2020 (संक्षेप में '2020 का अधिनियम') के तहत अपील का उपाय है।
6. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने विवादित दंड आदेश की विषय-वस्तु पर भरोसा करते हुए प्रस्तुत किया कि दंड आयोग से अनुमोदन के बाद लगाया गया था, इसलिए आयोग के समक्ष अपील का उपाय निरर्थक है।
7. याचिकाकर्ताओं के वकील द्वारा उठाए गए तर्क में योग्यता का अभाव है।
8. 2020 के अधिनियम की धारा 10 आयोग की शक्तियों और कार्यों का निर्धारण करती है। खंड (छ) के अनुसार, आयोग स्वायत्त बोर्ड के निर्णयों के संबंध में अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है। इसमें कोई विवाद नहीं है कि दंड आदेश स्वायत्त बोर्ड द्वारा पारित किया गया है। यह तर्क कि विवादित आदेश बोर्ड का नहीं है क्योंकि यह आदेश आयोग के अनुमोदन के बाद पारित किया गया था, याचिकाकर्ता को 2020 के अधिनियम की धारा 9(6) के तहत अपील के वैधानिक उपाय का लाभ उठाने से नहीं रोकता है।
9. 2020 के अधिनियम की धारा 9(6) नीचे पुनः प्रस्तुत है:-

“9.आयोग की बैठकें

- (1) xx xx xx
- (2) xx xx xx
- (3) xx xx xx
- (4) xx xx xx
- (5) xx xx xx xx xx xx

(6) कोई व्यक्ति जो धारा 31 की उपधारा (4) के अधीन दिए गए निर्णय के सिवाय आयोग के किसी निर्णय से व्यथित है, ऐसे निर्णय की सूचना मिलने के पंद्रह दिन के भीतर ऐसे निर्णय के विरुद्ध केन्द्रीय सरकार को अपील कर सकेगा।

10. याचिकाकर्ता के मामले को उच्चतम स्तर पर लेते हुए, जहां यह माना जाता है कि दंड आदेश आयोग द्वारा पारित किया गया है, अपील आदेश के संसूचन के पंद्रह दिनों के भीतर केन्द्रीय सरकार को की जाएगी।
11. इस स्तर पर, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि दंड आदेश के अनुसार, सत्र 2024-25 और उसके बाद के सत्र के लिए काउंसिलिंग की अनुमति

मांगने वाले याचिकाकर्ता का मामला तब तक लंबित रखा जाएगा जब तक कि राशि जमा नहीं हो जाती। मुवक्किल के निर्देश पर, यह तर्क दिया जाता है कि याचिकाकर्ता ने पहले ही पचास लाख रुपये की बैंक गारंटी जमा कर दी है और आज से चार सप्ताह के भीतर पचास लाख रुपये की एक और बैंक गारंटी जमा करेगा तथा दंड की वसूली पर रोक लगाई जाए।

12. रिट याचिका का निपटारा किया जाता है तथा याचिकाकर्ता को अपील के लिए स्थानान्तरित किया जाता है।

13. इस याचिका के लंबित होने को ध्यान में रखते हुए, यदि याचिकाकर्ता दो सप्ताह के भीतर अपील दायर करता है, तो अपीलीय प्राधिकारी द्वारा उस पर गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाएगा।

14. दिनांक 07.01.2025 को या उससे पहले बैंक गारंटी प्रस्तुत करने और अपील के लंबित रहने के दौरान दोनों बैंक गारंटियों को सक्रिय रखने पर, सत्र 2024-25 और उसके बाद के सत्रों के लिए अनुमति को लंबित रखने के दंड आदेश में दिए गए निर्देश को अन्य शर्तों की पूर्ति के अधीन अनुमति प्रदान करने में बाधा नहीं माना जाएगा।

15. यह देखते हुए कि यह मामला छात्रों के भविष्य से जुड़ा है और समय की कमी है, यह सराहनीय होगा यदि अपीलीय प्राधिकारी अपील का शीघ्रता से, अधिमानतः अपील दायर करने के तीन महीने के भीतर, निर्णय करने का ईमानदार प्रयास करें।

(अवनीश झिंगन),जे

रिया / सिंपल कुमावत /55

क्या रिपोर्ट योग्य है: हाँ

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"



Tarun Mehra
Advocate

